



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 112 राँची, बुधवार,

16 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

22 फरवरी, 2022

संख्या-8/आरोप-06/2014का०991--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-12555 दिनांक-28.08.2020 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र (**Memo of charges**) उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उप समाहर्त्ता के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में सुनियोजित साजिश रच कर अन्य लाभार्थियों से मिलकर भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए अवैध तरीके से अनुशंसा प्राप्त करने का आरोप है। इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में निगरानी थाना काण्ड संख्या-19/2005 दिनांक-29.12.2003 एवं विशेष वाद संख्या-30/2005 दर्ज है, जिसमें श्री सिन्हा गैर प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए हैं ।

2. श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र (**Memo of charges**) के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश संख्या-108 दिनांक-06.01.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. श्री संजय कुमार सिन्हा दिनांक-31.01.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः श्री सिन्हा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (B) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
